

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

फूलवाई वगैरह बनाम श्रीचन्द वगैरह

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मु.न. 66/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2025	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री लक्ष्मीनारायण मीना द्वारा बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये <b>Registered AD</b> वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 08.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> मण्डावर (दौसा)</p> <p>8/7/25 फगावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने अकात कराया कि प्रार्थी/वादी इतल फगावली से आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वकील वादी ने इतल बाबत् फगावली पर Not Press दिया। वादी वकील द्वारा डिमा जमा Not Press को खीकार डिमा जाकर फगावली से अर्पवाही इतली लस्द पर समाप्त हो जाती है। फगावली फेचल शुमार होकर वाकिल इफ्तल हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b> मण्डावर (दौसा)</p>	<p>नोटेस प्रेस 8/7/25</p> <p>नोटेस प्रेस 8/7/25</p>